

Quoting of PAN is mandatory for several transactions specified under Income-tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income-tax Rules, 1962) अधिपकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए खाई लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य है (अधिपकर नियम, 1962 के नियम 114बी, का संदर्भ ले)

Possession of use of more than one PAN is against the law and may attract penalty of Rs. 10,000/- एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है।

The PAN card enclosed contains QR Code which is readable by a specific mobile App. सलाह देन कार्ड में एनएसएल क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय

आपका विभाग **भारत सरकार**
INCOME TAX DEPARTMENT GOVT OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या
PAN Card
Retention Account Number
SPQPS4795B

नाम / Name
Subhash

जन्म तिथि / Date of Birth
15/02/1973

Signature



इस कार्ड के खोले / पाने पर कृपया सतर्क रहें / मोटाप
समयक विभाग (प्रशासिक) - 1, देन संकेत
एन सीएसएल अधिपकर भवन, सेक्टर - 3, यशवती
गान्धीनगर - 201010, उत्तर प्रदेश

If this card is lost / someone's lost card is found please inform / return to:
System Director (Systems), PAN Module
Income Tax Department, Sector - 3, Yashvati
Gandhinagar - 201010, Uttar Pradesh

Tel: No. 0120-2770078, FAX: 0120-2770078
Mail id: epan@incometax.gov.in

25/9/19